न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

दयालाल पिता अमर चंद पटैल,

निबासी– ग्राम बहादुरपरु, तहसील राहतगढ़, जिला सागर म0प्र0

..................आवेदक

वनाम

1– काशीराम पिता गुलाब पटैल

निबासी– ग्राम बहादुरपुर, तहसील राहतगढ़, जिला सागर म0प्र0

2– श्रीमति गीता पत्निश्यामलाल पटैल

निबासी –राहतगढ तहसील राहतगढ़, जिला सागर म0प्र0

3– श्रीमति तुलसाबाई पत्नि रामदयाल पटैल

निबासी– ग्राम जैसीनगर जिला सागर म0प्र0

4– श्रीमति हीराबाई पत्नि लक्षमण पटैल

5– श्रीमति बाई पत्नि हरचरण पटैल

दोनों निबासी ग्राम मुकारमपुर, जिला सागर म0प्र0

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक द्वारा यह अपील **न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर द्वारा प्र0क0 139/बी–121/2015–16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20/11/2017** से परिवेदित होकर कर रहा है। जो समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक द्वारा एक अपील अधिनस्थ न्यायालय में अनुविभागीय राहतगढ जिला सागर द्वारा अपील प्रकरण कमांक 07/अ/27/2013–14 में पारित आदेश दिनांक

(५७)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/973 — दयालाल विरूद्ध काशीराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 139/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-11-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-01-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन कें फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की	

सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 4.1.19
सदस्य